प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 18 मई, 2026

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पातीराम पुत्र श्री रामचन्द्र, निवासी जनपद-पीलीभीत की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-41155/प्रो0अनु0(2)-307/2025 (बैठक दिनांक 29.10.2025), दिनांक 03.11.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पातीराम पुत्र श्री रामचन्द्र, जो मोहम्मदगंज रम्पुरा, थाना-बरखेडा, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। दिनांक 10.03.2001 को प्रधानी के चुनाव की रंजिश के कारण अभियुक्त ने 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बंदूक, देसी तमन्चा, बांका, सूजा, लाठी बल्लम से हमला कर दिया जिससे मोतीराम, देवीराम, हेमराज, चुन्नीलाल व महेन्द्रपाल नामक 05 व्यकियों की हत्या कर दी एवं 07 अन्य को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-212/2002 व 227/2002 में भा0द0वि0 की धारा-148, 436/149, 307/149, 506, 302/149 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट एवं 4/25 ए एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायधीश/विशेष न्यायाधीश (एस0सी0एस0टी0 एक्ट), पीलीभीत के आदेश के आदेश दिनांक 23.01.2004 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 23-09-2005 द्वारा मृत्युदण्ड कारावास को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 28.07.2025 तक अपरिहार 23 वर्ष, 05 माह, 11 दिन तथा सपरिहार 28 वर्ष, 06 माह, 05 दिन की सजा भोगी गयी है। दिनांक 28-07-2025 तक बंदी की आयु लगभग 50 वर्ष है।

पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-2-2004-25 (94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9(2) के प्राविधान के अनुरूप लक्ष्मण नारकर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 05 बिन्दुओं पर आख्या प्रेषित करते हुये उल्लेख किया गया है कि (1) बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी नहीं आता है। (2) बंदी पुनः अपराध कर सकता है (3) बन्दी पुनः अपराध करने में सशक्त है। (4) दोनों पक्षों के मध्य विवाद विद्यमान है। (5) बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई उपयुक्त नहीं होने की आख्या प्रेषित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 08.10.2025 द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी० श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा० उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने अभिमत दिनांक 07.07.2025 द्वारा अंकन किया गया है कि बंदी यदि जेल मैनुअल के अनुसार नामिनल रोल के आधार पर रिहाई के सम्बन्ध में विधिक अर्हता रखता है, तो प्रशासन इस हेतु जेल मैनुअल तथा सुसंगत विधिक प्राविधानों के अधीन कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सलाहकार समिति का अभिमत है कि दिनांक 10.03.2001 को प्रधानी के चुनाव की रंजिश के कारण अभियुक्त ने 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बंदूक, देसी तमन्चा, बांका, सूजा, लाठी बल्लम से हमला कर दिया जिससे मोतीराम, देवीराम, हेमराज, चुन्नीलाल व महेन्द्रपाल नामक 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं 07 अन्य को घायल कर दिया। मा० उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द०प्र०सं० के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी पातीराम पुत्र रामचन्द्र को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर 180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी पातीराम (बन्दी संख्या-16024) पुत्र श्री रामचन्द्र, निवासी जनपद-पीलीभीत की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-516/2026/2244(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।
2- पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in